सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A3-61/2018

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : 6 अगस्त, 2018

महोदय,

रिट याचिका संख्या 1818 ऑफ 2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेश दिनांक 16.07.2018 में विश्वविद्यालय को 15 दिन के भीतर अनन्तिम सम्बद्धता निर्गत करने के आदेश दिये गये हैं, तथा कुलसचिव के पत्र संख्या मान्यता/केयू/सम्बद्धता/146 दिनांक 13.06.2018 द्वारा संस्थान को बी0बी0ए0, बी0कॉम0 एवं बी0ए0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2018–19 से नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्बद्धता प्रस्ताव में **कतिपय यथाः बी0बी0ए0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम की संस्तुति केवल 01–01 विषय विशेषज्ञ द्वारा किये जानें, बी0ए0 पाठ्यक्रम की निरीक्षण मण्ड़ल की स्पष्ट संस्तुति न होनें व विषय एवं सीटों का अंकन न किये जानें, प्रत्येक पाठ्यक्रम की फैकल्टी, पुस्तकालय, फर्नीचर, प्रयोगशाला व अन्य प्राविधान के मानक अपूर्ण होनें तथा बी0ए0 पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या व शासन की अनापत्ति प्राप्त न होनें आदि कमियां पाई गई हैं।**

अतः मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के उक्त आदेशों व विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अधीन निम्न संस्थान को निम्नांकित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख अंकित सीटों (बी0ए0 में सीटों की संख्या विश्वविद्यालय/कार्यपरिषद द्वारा पृथक से निर्धारित की जायेगी) की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई है कि संस्थान शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होनें के तीन माह के भीतर समस्त कमियों का पूर्णतयाः निराकरण करेगा अन्यथा की स्थिति में संस्थान की सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी :–

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
1	2	3	4	5
1	अमन एजुकेशन ट्रस्ट (Educity Institute) मझोला, खटीमा, उधमसिंहनगर	1–बी0बी0ए0	60 सीट	सत्र 2018–19 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता।
		2–बी0कॉम0	60 सीट	
		3–बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र)	सीटों की संख्या विश्वविद्यालय/कार्यपरिषद द्वारा पृथक से निर्धारित की जायेगी।	

1. संस्थान को तीन माह के भीतर अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि कार्यपरिषद से बी0ए0 पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या व मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
3. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः/2